

केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर प्रथम पाली

सत्र 2026-27 हेतु स्थानीय स्थानांतरण सूचना

19 जून 2026

केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका 2026-27 के पैरा 7 (बी) में दिए गए प्रावधानों के तहत वर्तमान सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन, लखनऊ संभाग के अंतर्गत लखनऊ स्थित केंद्रीय विद्यालयों में स्थानीय स्थानांतरण के आवेदनों पर निम्नलिखित स्थितियों में विचार किया जाएगा:

1. सम्बन्धित विद्यार्थी के प्रवेश उपरांत पिछले / वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अभिभावक के सरकारी आवास के आवंटन या माता-पिता द्वारा स्वयं के घर में स्थानांतरित होने की स्थिति में।
2. छात्र / अभिभावक की गंभीर बीमारी अथवा चिकित्सीय अत्यावश्यकता के कारण।
3. एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पर सहोदर / सहोदरी (siblings) पढ़ रहे हैं, स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर (दोनों विद्यालयों में से जिसकी सम्बन्धित कक्षा में छात्र संख्या कम होगी, उस विद्यालय हेतु स्थानीय स्थानांतरण अनुमन्य होगा।)।

उपरोक्त पैरा 1 और 2 के मामले में, सरकारी आवास/खुद के घर के निकटतम केंद्रीय विद्यालय में सम्बन्धित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 के भीतर होने पर स्थानीय स्थानांतरण अनुमन्य होगा। कक्षा संख्या 50 से अधिक होने पर अन्य निकटतम केंद्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है। सामान्यतः दोनों विद्यालयों के मध्य 8 किलोमीटर से कम दूरी होने पर अथवा वर्तमान सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदनों पर स्थानीय स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त नियमों के अनुसार इच्छुक अभिभावक विद्यालय कार्य-दिवसों में अंतिम समय सीमा से पूर्व संबंधित दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में आवेदन कक्षा-अध्यापक के पास जमा करना सुनिश्चित करें।

अंतिम तिथि एवं समय 28 जून 2026 अपराह्न 12 बजे तक है।

आवेदन पत्र की प्रति इस सूचना के साथ संलग्न की गयी है।

-sd-
प्राचार्य